N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0141 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/07/2024 16:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:44 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/07/2024 16:57:32 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALYA SHAYAK ABHIYANTA, GRAMIN UPKHAND SWAIMADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KHURSID KHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): ISHAK MOHAMMAD

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RASULPURA, MALARNA DUNGER, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RASULPURA, MALARNA DUNGER, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARI OM GOYAL		पिता:RADHESHYAM GOYAL	1. MALIYO KE MANDIR KE PAS,JHATWARA KHURD,SAWAI

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.2024 समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री खुर्शीद खान पुत्र ईशाक मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी रसूलपुरा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर को सम्बोधित करते हुये मन अति0 पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को इस आशय की पेश की कि मैं खुर्शीद पुत्र ईशाक मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी रसुलपुरा त0 मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी ईशाक मोहम्मद जलदाय विभाग से रिटार्यड हुये थे। जिनकी पी0एल0 के जमा पैसे पास करवाने व अन्य रिटार्यड संबंधित कार्यो को करने की एवज 10,000/- रूपये की मांग वरिष्ठ सहायक (बाबू) हरिओम गोयल द्वारा की जाकर परेशान किया जा रहा है। मैं उक्त कार्यो के लिये हरिओम गोयल को रिश्वत नही देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी हरिओम गोयल जी से कोई पुरानी रंजिश नही है और ना ही कोई लेन-देन है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही कर आरोपी को रिश्वत लेते हुये पकडने का श्रम करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाना आवश्यक है। इसके पश्चात समय 01.30 पी.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि0 149 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी खुर्शीद खान से परिचय करवाकर राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री रमेश कुमार कानि0 469 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजिटल वँइस रिकाँर्डर को निकलवा कर परिवादी खुर्शीद खान के समक्ष वाईस रिकाँर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर व वाँईस रिर्काडर में मैमोरी कार्ड (माइक्रो 8 जीबी) लगाकर वाईस रिकाँर्डर को चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री खुर्शीद खान को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकाँर्ड करने हेतु वाँइस रिकाँर्डर को श्री राजवीर सिंह कानि0 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के संदिग्ध अधिकारी के पास जाने से पूर्व वाँईस रिकाँर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापस आने पर वाँइस रिकाँर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 01.45 पी.एम पर परिवादी श्री खुर्शीद खान एवं श्री राजवीर सिंह कानि0 को अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जलदाय विभाग कार्यालय सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया। इसके बाद समय 02.30 पी.एम. पर कानि0 राजवीर सिंह मय परिवादी श्री खुर्शीद खान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा वापस आया। परिवादी खुर्शीद खान ने बताया कि मैं व राजवीर सिंह कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग सवाई माधोपुर के पास पहुंचे, जहां पर एकान्त स्थान पर मुझे श्री राजवीर सिंह कानि0 द्वारा वाँइस रिकाँर्डर चालू कर सुपुर्द करने पर मैं राजवीर सिंह जी के पास से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग सवाई माधोपुर के अन्दर चला गया। राजवीर सिंह जी कार्यालय जलदाय विभाग के बाहर ही रूक गये थे। मैं जलदाय विभाग सवाई माधोपुर कार्यालय के एक कमरे में बैठे हरिओम गोयल बाबू के पास चला गया, जहां पर मैने हरिओम जी से नमस्कार किया। इसके पश्चात मैंने मेरे पिताजी के पी0एल0 के जमा पैसे पास करवाने व रिटार्यड संबंधित कार्यो के सम्बन्ध में बातचीत की तो हरिओम जी ने मेरे से मेरे पिताजी के पी0एल0 के जमा पैसे पास करवाने व रिटार्यड संबंधित कार्यो को करने के लिये दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मैने कहा की कल तो में सरसो की तुलाई कराउंगा परसो आपको पेमेन्ट मिल जायेगा। सभी बाते मैंने वाँईस रिकाँर्डर में रिकाँर्ड कर ली तथा बाहर आकर वाँइस रिकाँर्डर श्री राजवीर सिंह कानि0 को सुपुर्द कर दिया। जिन्होने उसे बन्द कर अपने पास रख लिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 राजवीर सिंह से पूछा तो राजवीर सिंह कानि0 ने परिवादी की बातो को ताईद करते हुये बताया मैंने वाईस रिकाँर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था तथा मैं परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हो गया था। मेरे समक्ष परिवादी कार्यालय जलदाय विभाग सवाई माधोपुर में प्रवेश कर गया था। में वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये जलदाय विभाग के आस-पास रूक गया था। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने राजवीर सिंह कानि0 से वाँइस रिकाँर्डर प्राप्त कर परिवादी व राजवीर सिंह कानि0 के समक्ष कार्यालय कक्ष में लेपटाँप स्पीकर मंगवाकर वाईस रिकाँर्डर को

लेपटॉप से अटैच कर रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथन की पुष्टी होना पायी गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होना पाई गयी। रिकॉर्ड वार्ता का रूपान्तरण आईन्दा स्वतंत्र गवाह तलब कर उनके समक्ष सुना जाकर रूपान्तरण तैयार करवाया जावेगा। वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय के पास सुरक्षित रखा। फर्द वापसी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 03.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री खुर्शीद खान को संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये साथ लेकर दिनांक 12.07.2024 को प्रातः समय 8.30 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। इसके पश्चात दिनांक 12.07.2024 को समय 09.30 ए.एम पर परिवादी श्री खुर्शीद खान उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये साथ लेकर आया हूँ। इस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात 10.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर एक पत्र क्रमांक 776 दिनांक 12.07.2024 तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर के नाम लिखा जाकर गवाह लाने हेतु कानि0 श्री रामकेश कानि0 नं0 98 को रवाना किया गया। जो समय 10.30 ए.एम पर तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर से हमराह श्री विजय कुमार सैन पटवारी एवं श्री विराट शर्मा को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। दोनों से नाम पता पूछने पर क्रमशः श्री विजय कुमार सेन पुत्र रमेश चन्द जाति नाई उम्र 41 वर्ष निवासी सूरवाल जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ठींगला, जटवाडा, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर एवं श्री विराट शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 39 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का सेलु सवाई माधोपुर होना बताया। दोनों से कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति चाहने पर दोनों ने अपनी-अपनी सहमति दी। कार्यालय में उपस्थित परिवादी खुर्शीद खान से परिचय करवाकर परिवादी की लिखित शिकायत को दोनों को पढवाकर उस पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 10.50 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी खुर्शीद खान पुत्र ईशाक मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी रसूलपुरा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर से संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने उसने अपने पास से पांच-पांच सौ के कुल बीस नोट कुल 10,000/- रूपये पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है- क्रम संख्या नोट का विवरण नोटों के नम्बर 1. एक नोट 500 रूपये का 6AK718050 2. एक नोट 500 रूपये का 2HA862077 3. एक नोट 500 रूपये का 6TQ534952 4. एक नोट 500 रूपये का 4NB810290 5. एक नोट 500 रूपये का 8AH045396 6. एक नोट 500 रूपये का 3FE870651 7. एक नोट 500 रूपये का 7FQ592332 8. एक नोट 500 रूपये का 1HU178842 9. एक नोट 500 रूपये का 3CF169299 10. एक नोट 500 रूपये का 7DC206342 11. एक नोट 500 रूपये का 4MB779293 12. एक नोट 500 रूपये का 5NF339419 13. एक नोट 500 रूपये का 0FH743334 14. एक नोट 500 रूपये का 2DW268046 15. एक नोट 500 रूपये का 7EH139935 16. एक नोट 500 रूपये का 5AD214083 17. एक नोट 500 रूपये का 8NR775284 18. एक नोट 500 रूपये का 2WD718471 19. एक नोट 500 रूपये का 6DK637177 20. एक नोट 500 रूपये का 5ES564997 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाया जाकर श्री रमेश कुमार कानि0 469 कार्यवाहक मालखाना इंचार्ज से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री रामकेश कानि0 98 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री खुर्शीद खान की जामा तलाशी गवाह श्री विजय कुमार सेन पटवारी से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोबाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 10,000/- रूपये के नोटों को श्री रामकेश कानि0 98 से परिवादी श्री खुर्शीद खान की पहनी हुई पेन्ट के सामने की दांहिनी जेब में सीधे ही रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि संदिग्ध अधिकारी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो संदिग्ध अधिकारी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और संदिग्ध अधिकारी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा संदिग्ध अधिकारी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के बीच होने वाले रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री विराट शर्मा पटवारी से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर गवाह श्री विराट शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त डिस्पोजल के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त डिस्पोजल के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि0 98 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो डिस्पोजल के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को द्रष्टांत दिलवाकर

समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि098 से डिस्पोजल के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार एवं काम में लिये गये डिस्पोजल को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री रामकेश कानि0 98 के दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री खुर्शीद खान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद परिवादी खुर्शीद खान को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया तथा श्री रामकेश कानि 098 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा द्रष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री खुर्शीद खान को स्वंय की निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर उसके पीछे-पीछे राजवीर सिंह कानि0 नं. 149 व मनोज कुमार कानि0 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से बाद हिदायत रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान विजय कुमार सैन पटवारी, विराट शर्मा पटवारी एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रमेश कुमार कानि., भोलाराम कानि. के जरिये प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु सवाई माधोपुर रवाना हुआ। ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व प्रिन्टर साथ लिया गया। इसके बाद समय 11.25 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुलिस लाईन सवाई माधोपुर के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री खुर्शीद खान को वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर कार्यालय जलदाय विभाग सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया। परिवादी श्री खुर्शीद खान आगे-आगे चलकर कार्यालय जलदाय विभाग सवाई माधोपुर में प्रवेश कर गया। कानि. राजवीर सिंह को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना कर, शेष ट्रेप पार्टी सदस्य वाहन से उतरकर आस-पास अपनी मौजूदगी छुपाते हुए खडे हो गये । मन अति0 पुलिस अधीक्षक भी गवाहान के साथ मुख्य दरवाजे के सामने की तरफ खडा हो गया। परिवादी के नियत ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुये। तत्पश्चात समय 11.44 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री खुर्शीद खांन ने कार्यालय जलदाय विभाग से बाहर निकल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारा कर अपने साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचकर वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा व स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग के अन्दर हरिओम जी कमरे में पहुंचा जहां पर हरिओम जी कुर्सी पर बैठे मिले मैने उनसे मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत कर उनको रिश्वत राशि के दस हजार रूपये दिये तो उन्होने ने कहा की फाईल के नीचे रख दे। इस पर मैने उनके कहे अनुसार रिश्वती राशि दस हजार रूपये उनके कमरे में गेट के पास टेबल पर रखी फाईलो के नीचे रख दी। इसके पश्चात मैं वहां से आकर आपको पूर्व निर्धारित रिश्वत राशि का ईशारा कर दिया। इस पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार कार्यालय, अधिषाशी अभियन्ता जन स्वा. अभि.विभाग खण्ड सवाई माधोपुर के अन्दर बने कमरा नम्बर 04 कार्यालय सहायक अभियन्ता ग्रामीण उपखण्ड में बने कमरे के अन्दर पहुंचा, कमरे के अन्दर जिसमें टेबल-कुर्सी पर बैठे कार्य कर रहे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक है, जिन्होने मेरे से थोडी देर पहले मेरे से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये इनके कमरे के गेट के पास रखी एक टेबल पर फाईलों के नीचे रखवाये थे। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के उक्त कमरे में प्रवेश कर उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरिओम गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल जाति जैन उम्र 34 वर्ष निवासी मालीयों के मन्दिर के पास जटवाडा खुर्द हाल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर होना बताया। उक्त आरोपी हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री खुर्शीद खान से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी हरिओम गोयल ने बताया कि अभी कुछ समय पहले खुर्शीद खान मेरे पास आया और मेरे से इसके पिताजी के रिटार्यडमेन्ट के पी.एल के पैसो के लिये पूछा तो मैने कहा कि पी.एल का बिल ट्रेजरी भेज रखा है अभी बजट नही है। मैनें खुर्शीद खान से कोई रिश्वत राशि न तो मांगी नाही ली है। इस पर पास ही खडे परिवादी खुर्शीद खान ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि मेरे पिताजी जनवरी 2024 में जलदाय विभाग से रिटायर्ड हुये थे। जिनके पी0एल0 के नकद भुगतान के लिये हरिओम गोयल जी मुझे दो महिने से परेशान कर रहे है तथा दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। जिस पर मैने दिनांक 10.07.2024 को आपके कार्यालय में आकर एक लिखित शिकायत पेश की जिस पर आप द्वारा उसी दिन रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था, रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान हरिओम जी ने मेरे से मेरे पिताजी के पी0एल0 के पैसो का बिल पास करवाने के लिये रिश्वत राशि दस हजार रूपये की मांग की थी। मैने हरिओम जी को आज दिनांक 12.07.2024 को पैसे देने के लिये कहा था।

जिस पर मैंने आज दिनांक 12.07.2024 को हरिओम जी गोयल को रिश्वत राशि दस हजार रूपये देने के लिये इनके पास आया था, इन्होने रिश्वत राशि दस हजार को कमरे के गेट पास रखी टेबल पर रखे फाईलो के नीचे रखने के लिये कहा था, जिस पर मेंने इनके कहे अनुसार रिश्वत राशि दस हजार रूपये फाईलो के नीचे रख दी थी। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह श्री विजय कुमार सैन पटवारी से टेबल पर रखी फाईलो को उठवाया गया तो दो रजिस्टरो के बीच में मुडी हुई पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की गडडी मिली, उक्त गवाह से पांच-पांच सौ रूपये की मुडी हुई गडडी को गिनवाया तो पांच-पांच सौ के बीस नोट मिले। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह विजय कुमार सेन पटवारी से ए.सी.बी. कार्यालय सवाई माधोपुर में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो हूबहू होना पाये गये, उपरोक्त नम्बरी रिश्वत राशि 10,000/- रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। गवाह विजय कुमार सैन पटवारी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। ट्रेप वॉक्स में से स्वतंत्र गवाह विराट शर्मा पटवारी से ट्रेप बाक्स में से एक पारदर्शी डिस्पोजल निकलवाकर कमरे में रखी एक पानी की बोतल में से उक्त डिस्पोजल को साबुन पानी से साफ धुलवाकर डिस्पोजल में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर डिस्पोजल में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विराट शर्मा पटवारी से ट्रेप बॉक्स से साफ रूई का फोहा निकलवाकर रजिस्टरो के मध्य रिश्वत राशि रखने वाले कवर को रगडवाया जाकर रूई के फोहा को उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क F-1 व F-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं रूई के फोहा को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कराये जाकर मार्क F अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी हरिओम गोयल से परिवादी के कार्य के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि ईशाक मोहम्मद जनवरी 2024 में रिटार्यड हुये थे, रिटार्यड होने के पश्चात पी.एल. भुगतान माह फरवरी 2024 में स्वीकृत किया जो कि 46 प्रतिशत महगाई भत्ता से फरवरी माह में ही कोष कार्यालय में भेज दिया गया था, परन्तु बजट के अभाव में पारित नही हो सका। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा महगाई भता 50 प्रतिशत के आदेश किये जाने से पुनः अप्रेल 2024 में पुनः ऑन लाईन कोष कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया था। लेकिन बजट के अभाव में आज तक पारित नही हो सका। परिवादी खुर्शीद खान के पिताजी के बिल से सम्बन्धित दस्तावेज आरोपी हरिओम ने अपने कम्प्यूटर में निकालकर पेश किये जिनको बाद संबंधित के हस्ताक्षर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई जिसको ए.सी.बी. कार्यालय सवाई माधोपुर में पहुंच पृथक से सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। वाईस रिकार्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन-देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द बरामदगी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात 01.30 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री खुर्शीद खान की मौजूदगी में घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 02.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के मय बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती राशि 10,000/- रूपये, लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स व जप्त/शील्डशुदा माल वजह सबूत आदि मुताबिक फर्दात के बाद ट्रेप कार्यवाही अभियुक्त हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक को लेकर मय प्राईवेट वाहन व मोटर साईकिल से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड सवाई माधोपुर से ए.सी.बी. कार्यालय सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। जो समय 02.20 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व अभियुक्त हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स व जप्त/शील्डशुदा वजह सबूत जप्त माल के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा हाजिर कार्यालय आया। ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राषि 10,000/- रू., धोवन की शील्ड शीषीयां मार्क F-1, F-2 व रूई के फोहा के शील्ड पैकेट मार्क F को कार्यवाहक मुख्य आरक्षक श्री रमेश कुमार कानि0 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अभियुक्त को कार्यालय में जाप्ता निगरानी में रखा गया। समय 02.45 पी.एम. पर आरोपी हरिओम गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल जाति जैन, उम्र 34 वर्ष निवासी मालीयों के मन्दिर के पास जटवाडा खुर्द पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर को विधिक प्रावधानो की पालना कर उनके संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराते हुये आरोपी की गिरफ्तारी अपरिहार्य एवं आवश्यक होने से बसबूत जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में मुताबिक फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना पृथक से दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं चैक लिस्ट शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात आरोपी हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक सवाई माधोपुर का लोकल निवासी है तथा आरोपी के विरूद्ध की गई

ट्रेप कार्यवाही जलदाय विभाग सवाई माधोपुर में होने के कारण एवं आरोपी का निवास स्थान भी पास में ही होने के कारण एवं स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। इस कारण आरोपी के रिहायसी मकानों की खाना तलाशी नही ली गई। समय 03.30 पी.एम पर वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 10.07.2024 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता जो वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। जो मन अतिरिक्त पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें रिकॉर्ड वार्ता (240710_1359MP3) दिनांक 10.07.2024 को हुई परिवादी श्री खुर्शीद खान व आरोपी श्री हरिओम गोयल के मध्य हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी खुर्शीद खान एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.07.2024 को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 10.07.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क A-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क A-2, A-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत मांग सत्यापन के समय उपयोग मे लिए गये उक्त मैमोरी कार्ड जिनमें दिनांक 10.07.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हैं उक्त मैमोरी कार्ड को माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे़ की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का- M-1 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात अभियुक्त हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक का सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। समय 08.10 पी.एम पर वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 12.07.2024 की रिश्वत लेन-देन के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता जो वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। जो मन अतिरिक्त पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें रिकॉर्ड वार्ता (240712_1132MP3) दिनांक 12.07.2024 को हुई परिवादी श्री खुर्शीद खान व आरोपी श्री हरिओम गोयल के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी खुर्शीद खान एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 12.07.2024 को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 12.07.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क B-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क B-2, B-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत लेन-देन के समय उपयोग मे लिए गये उक्त मैमोरी कार्ड जिनमें दिनांक 12.07.2024 की रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड को माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का- M-2 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.30 पी.एम पर मूल पेन ड्राईव शील्ड मार्क A-1, B-1 कुल 2 को एवं मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क A-2, B-2 एवं मैमोरी कार्ड मार्क M-1, M-2 कुल 2 को श्री रमेश कुमार कानि0 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 10.45 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री खुर्शीद खान के समक्ष अभियुक्त हरिओम गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल जाति जैन, उम्र 34 वर्ष निवासी मालीयों के मन्दिर के पास जटवाडा खुर्द हाल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर को परिवादी श्री खुर्शीद खान से दि0 10.07.2024 को दौराने रिश्वती मांग सत्यापन परिवादी से 10,000/- रू. रिश्वत की मांग करना और दिनांक 12.07.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने की ऑडियो रिकार्डिंग है। उक्त ऑडियो के आवाज के मिलान के लिए आरोपी हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर की आवाज का नमूना प्राप्त करनी है, जिस पर आरोपी को आवाज का नमूना स्वतन्त्र गवाहान के सामने देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से साफ इन्कार कर दिया। जिसकी फर्द हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिव की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.20 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 11.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को बाद कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही व हालात से पाया गया कि परिवादी श्री खुर्शीद खान पुत्र ईशाक मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी रसूलपुरा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के पिता ईशाक मोहम्मद जो 31 जनवरी 2024 को जलदाय विभाग से रिटार्यड हुये थे। परिवादी के पिता के पी0एल0 के जमा पैसो का नकद भुगतान व रिटार्यड सम्बन्धित कार्य करने के लिये हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी खुर्शीद को दो महिने से

परेशान कर दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा था। जिसकी लिखित शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 10.07.2024 को ब्यूरो कार्यालय सवाई माधोपुर पर उपस्थित आकर पेश की। उक्त शिकायत का उसी दिन दिनांक 10.07.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी हरिओम गोयल द्वारा परिवादी से परिवादी के पिता के पी0एल के भुगतान व रिटार्यडमेन्ट सम्बन्धित कार्य को करने के लिये 10 हजार रूपये रिश्वत राषि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 12.07.2024 को परिवादी के द्वारा रिश्वत राशि पेश करने पर स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी हरिओम गोयल द्वारा परिवादी से अपने कार्यालय में गेट के पास रखी टेबल पर फाईल के नीचे रिश्वत राशि दस हजार रूपये रखवाना एवं दो रजिस्टरो के बीच में से रिश्वत राशि दस हजार रूपये बरामद करना आरोपी हरिओम गोयल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध प्रथम दृष्टतया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री हरिओम गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल जाति जैन उम्र 34 वर्ष, निवासी मालीयों के मन्दिर के पास जटवाडा खुर्द हाल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई। (सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरिओम गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल उम्र 34 वर्ष, निवासी मालीयों के मन्दिर के पास जटवाडा खुर्द हाल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखण्ड सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 835 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 736-39 दिनांक 13.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर । 2. मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा0 अभि0विभाग राजस्थान जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

3. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/07/2024 17:0

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)